

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

पत्रांक: AE-2/03/WM-1/ Gr.IV/241/2021/Vol.VI/460/1212

दिनांक: 13.09.2024

कार्यालय आदेश

खण्डीय लेखाकारों (परिवीक्षाधीन) सूची संलग्न (अनुलग्नक-1) को अनुभागीय क्रियात्मक प्रशिक्षण हेतु कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, स्थानीय के निर्माण, निधि, पेंशन एवं राजकोष समन्वय तथा कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-1, उ० प्र०, प्रयागराज के कैस/कैप अनुभाग में संलग्न विवरण (अनुलग्नक 2 एवं 3) के अनुसार सम्बद्ध किये जाने हेतु निम्न आशय से भेजा जा रहा है:-


1:- समन्वयीय अनुभाग के वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखा परीक्षाधिकारी, खण्डीय लेखाकारों (परिवीक्षाधीन) को समन्वय के विभिन्न अनुभागों में पदस्थापित कर संबन्धित वरिष्ठ लेखाधिकारियों को उन्हे संबन्धित विषय पर उद्देश्यपूर्ण प्रशिक्षण देने हेतु निर्देशित करें। इसके अतिरिक्त अनुभागीय कार्य एवं गतिविधियों के संबंध में प्रतिवेदन तंत्र (Reporting mechanism), कार्यविधि, आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रिया एवं अन्य संबंधित मामलों पर प्रशिक्षण देने हेतु निर्देश दें।

2:- प्रशिक्षण के दौरान सभी खण्डीय लेखाकार (परिवीक्षाधीन) माहवार अपनी डायरी तैयार करेंगे, जिसमें प्रतिदिन सीखे गए कार्य का उल्लेख करेंगे साथ ही उसे अपने संबंधित सहायक लेखाधिकारी/ लेखा परीक्षाधिकारी से सत्यापित करा कर वरिष्ठ लेखाधिकारी/संप्रेक्षाधिकारी की टिप्पणी के साथ आगामी माह की 10 तारीख तक सहायक लेखाधिकारी, निर्माण विविध-1 अनुभाग को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

3:- अनुलग्नक-1 में अंकित खण्डीय लेखाकारों (परिवीक्षाधीन) की तैनाती समन्वय के वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखा परीक्षाधिकारी द्वारा अपने स्तर से अगले कार्यालय/समन्वय में अनुलग्नक-02 के अनुसार की जाएगी।

4:- प्रशिक्षण के दौरान किसी खण्डीय लेखाकार (परिवीक्षाधीन) को यदि आकस्मिक अवकाश या प्रतिबंधित अवकाश की आवश्यकता है, तो वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखा परीक्षाधिकारी द्वारा खण्डीय लेखाकार (परिवीक्षाधीन) से निर्माण विविध-1 द्वारा निर्गत अवकाश शेष प्राप्त कर, अनुमन्य देयता के अनुसार अवकाश प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर वरिष्ठ लेखाधिकारी निर्माण विविध-1 अनुभाग को प्रेषित किया जाए, परंतु अर्जित अवकाश या अन्य किसी प्रकार के अवकाश हेतु अवकाश आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु वरिष्ठ लेखाधिकारी निर्माण विविध-2 अनुभाग को प्रेषित किया जाए।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।


उपमहालेखाकार (डीएससी)

संख्या:AE-2/03/WM-1/ Gr.IV/241/2021/Vol.VI/460/323-330 दिनांक:13.09.2024

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, महालेखाकार कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उ० प्र०, प्रयागराज।
2. वरिष्ठ लेखाधिकारी, निर्माण समन्वय (प्रकोष्ठ), निधि-1, पेंशन विविध, एवं राजकोष (केंद्रीय) कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, स्थानीय।
3. वरिष्ठ लेखा परीक्षाधिकारी/प्रशासन, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-1, उ० प्र०, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित है कि खण्डीय लेखाकारों (परिवीक्षाधीन) का क्रियात्मक प्रशिक्षण संलग्न सूची के अनुसार कैस/कैप (लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग) के अनुभागों में कराने का कष्ट करें।
4. समस्त संबंधित अधिशासी अभियंताओं को कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से।
5. अनुलग्नक-1 में अंकित सभी खण्डीय लेखाकारों (परि०) को कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से।
6. सहायक लेखाधिकारी/निर्माण विविध-II, स्थानीय को संबन्धित खण्डीय लेखाकारों (परि०) की मूल पत्रावली में संलग्न किये जाने हेतु।
7. संबन्धित खण्डीय लेखाकार (परिवीक्षाधीन) की प्रशिक्षण पत्रावली हेतु।
8. वरिष्ठ लेखाधिकारी (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) कार्यालय महालेखाकार (ले० एवं हक०)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि०वि०-1

अनुलग्नक-1

Sl.No.	Name S/Shri Group A	P. No.	Sl.No.	Name S/Shri Group B	P. No.
1	Avantika	1764	18	Abhishek Gupta	1785
2	Prashant	1766	19	Shailesh Kumar Verma	1786
3	Saurabh Lakwad	1767	20	Jagmohan Meena	1787
4	Lalit Kumar	1768	21	Ajay Kumar Meena	1788
5	Ritesh Kandal	1770	22	Nitish Kumar	1789
6	Himanshu Kumar	1773	23	Ms. Ruby Kashyap	1790
7	Vibhu Yadav	1774	24	Anuj Kumar Sharma	1791
8	Shashikant Rai	1775	25	Alok Pandey	1793
9	Aman Kumar	1776	26	Rishabh Shukla	1794
10	Dilip Kumar Meena	1777	27	Akshat Dwivedi	1795
11	Raj Kumar Meena	1778	28	Rahul Kumar	1798
12	Anurag Dwivedi	1779	29	Ashish Pratap Singh	1799
13	Shivendra Singh	1780	30	Neetesh Kumar Meena	1800
14	Akshay Patel	1781	31	Neeraj Sahu	1801
15	Ajit Singh	1782	32	Abhishek Singh	1802
16	Sachin Meena	1783	33	Udit Kumar	1772
17	Jitendra Kumar Meena	1784	34	Shivansh Rastogi	Not allotted



Sr. Accounts Officer/W.M.-I

अनुलग्नक-2

6 Months 15 days- Practical Training Programme

(Date-25.09.2024 to 09.04.2025)

<u>Period of Training</u>	<u>Date</u>	<u>Group</u>
<u>WAD</u> (AG-II) 2 Months 15 Days	25.09.2024 to 09.12.2024 10.12.2024 to 23.02.2025	A B
<u>Fund</u> (AG-II) 15 Days	24.02.2025 to 10.03.2025 26.03.2025 to 09.04.2025	A B
<u>TAD</u> (AG-II) 15 Days	11.03.2025 to 25.03.2025 24.02.2025 to 10.03.2025	A B
<u>Pension</u> (AG-II) 15 Days	26.03.2025 to 09.04.2025 11.03.2025 to 25.03.2025	A B
<u>CAP/CASS, AUDIT</u> 2 Months 15 Day	25.09.2024 to 09.12.2024 10.12.2024 to 23.02.2025	B A


Sr. Accounts officer/W.M.-I

अनुलप्रक-3

प्रशिक्षण प्रदान किये जाने संबंधी विषय सूची

निर्माण समन्वय में प्रशिक्षण प्रदान किये जाने संबंधी विषय सूची।

- 1.Preparation of monthly Accounts and Re-Conciliation.
- 2.Bill of Exchange, promissory Notes, Cheques.
- 3.Transfer Entries, Budget, Supplementary Grants, Re-Appropriation.
- 4.Preparing of Stock Account Miscellaneous Advance and Deposit.
- 5.CCL DCL से संबन्धित जानकारी।
- 6.MPSSA and CSSA से संबन्धित जानकारी।
- 7.Schedule Docket तैयार करना।
- 8.Cash Book की जानकारी।
- 9.Maintenance of HBA/MCA Broadsheet and Issuance of No Dues Certificate of HBA/MCA.

पेंशन समन्वय में प्रशिक्षण प्रदान किए जाने संबंधी विषय सूची।

1. पेंशन/ पारिवारिक पेंशन हेतु प्रयोग किये जाने वाले विभिन्न पेंशन प्रपत्रों की जानकारी।
2. पेंशन/पारिवारिक पेंशन की पात्रता निर्धारित करना।
3. पेंशन संबंधी विभिन्न नियमों की जानकारी।
4. उपादान एवं पेंशन सारांशीकरण से संबन्धित नियमों की जानकारी। .
5. असाधारण पेंशन एवं पेंशन से संबन्धित अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु।

निधि समन्वय में प्रशिक्षण प्रदान किये जाने संबंधी विषय सूची।

1. अभिदाताओं के सामान्य भविष्य निधि प्रकरणों का मिलान करना।
2. अंतिम भुगतान प्रकरण की गणना करना तथा प्राधिकार पत्र निर्गत करना।
3. लुप्त अंशदानों/आहरणों का समायोजन करना।
4. Schedule Posting.

5. ऋणात्मक अवशेष के प्रकरणों की समीक्षा इत्यादि।

राजकोष समन्वय में प्रशिक्षण प्रदान किये जाने संबंधी विषय सूची।

1. उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि, चिकित्सा, विधि एवं न्याय तथा पशु पालन एवं सहकारिता विभाग के कोषागार से प्राप्त मासिक लेखों का संकलन।
2. दीर्घ अवधि अग्रिमों यथा भवन निर्माण अग्रिम मोटर वाहन अग्रिम इत्यादि से संबन्धित ब्राडशीट का अनुरक्षण।
3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि से संबन्धित ब्राडशीट का अनुरक्षण।
4. आपत्ति पुस्तिका एवं विभागीय समायोजन उच्चतम खाता का रख रखाव।
5. उच्चाधिकारियों एवं मुख्यालय को प्रस्तुत किये जाने वाले विभिन्न प्रतिवेदन।

CASS/CAPP अनुभाग में प्रशिक्षण प्रदान किये जाने संबंधी विषय सूची।

निर्माण लेखा से संबन्धित लेखा परीक्षा तथा CASS/CAPP से संबन्धित समस्त महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण।

टिप्पणी: उपरोक्त विषयों/टापिकों के अतिरिक्त यदि अन्य कोई महत्वपूर्ण कार्य संबन्धित अनुभागों में संपादित किये जाते हों तो उसे भी प्रशिक्षण में सम्मिलित कर लिये जायँ।

वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि०वि०-1